फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल वगैरह **विपक्षी : श्री रतना वगैरह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 60/20**

जीसीएमएस : 2020/00239

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–188 के तहत प्रस्तुत कर उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काउण्टर वाद प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 567 पर दर्ज आराजी नम्बर 4812/3616 किता 1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित होना प्रतीत नहीं होता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मे खातेदार के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति जारी करना न्यायोचित नही पाया जाता है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर अपना अपना कब्जा बता रहे है। परन्तु उभय पक्ष द्वारा ही ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किसका है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाता है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested

तो वह पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में कब्जेधारी को बेदखल करने का प्रयास करेगा। जिससे मौके पर विवाद होगा एवं वाद बाहुल्यता बढेगी। ऐसे में प्रकरण में उभय पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विपक्षी संख्या 1 का काउण्टर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दोनो प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विपक्षी संख्या 1 का काउण्टर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दोनो प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 के खाता संख्या 567 पर दर्ज आराजी नम्बर 4812/3616 किता 1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का कब्जा है तो विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे साथ ही यदि कब्जा विपक्षी संख्या 1 का है तो प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। उभय पक्षकारान उपरोक्तानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested